

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2191] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 14, 2018/ज्येष्ठ 24, 1940

No. 2191] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 14, 2018/JYAISTHA 24, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुन, 2018

का.आ. 2422(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में 13 जून, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात् –

क्र.सं.	धाराएं
1	धारा 22;
2.	धारा 24;
3.	धारा 25;
4.	धारा 26; और
5.	धारा 71

[फा.सं. 1/1/2018-सीएल.I]

के वी आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

3349 GI/2018 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2018

S.O. 2422(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 13th June, 2018 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:—

Sl.No.	Sections
1.	Section 22;
2.	Section 24;
3.	Section 25;
4.	Section 26; and
5.	Section 71.

[F. No. 1 /1 /2018-CL.I]

K.V. R. MURTY, Jt. Secy.